भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं † 2272

उत्तर देने की तारीख 08.03.2021

जनजातीय लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

†2272. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय आबादी को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनने में मदद करने लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रशिक्षुओं का चयन किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान जनजातीय लोगों द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए दिए गए मुआवजे का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जनजातियों को शोषण से बचाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया है। तथापि, यह मंत्रालय वन संपदा अर्थात 'वन धन' का उपयोग करते हुए, जनजातियों के लिए आजीविका सृजन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 'वन धन विकास कार्यक्रम' का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय लोगों के पारम्परिक ज्ञान और कौशल के प्रत्येक स्तर पर उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी और आईटी को जोड़ते हुए जनजातियों के ज्ञान का उपयोग करना और जनजातीय प्रज्ञा को व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित करने के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर और उद्यमी बन सकें। इस कार्यक्रम के तहत, जनजातीय बहुल जिलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाले लघु वन उत्पाद (एमएफपी) केन्द्रित, बहु-उद्देशीय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ये केन्द्र स्थानीय रूप से उपलब्ध लघु वन उत्पाद में खरीद-सह-मूल्य संवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। कच्चे उत्पाद के मूल्य वर्धन के परिणामस्वरूप एमएफपी के मूल्य में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप एकत्रणकर्ताओं की आय में वृद्धि होती है। 'वन धन विकास कार्यक्रम' मुख्यतः , मूल्य श्रृंखला का प्रशिक्षण और विकास है। वीडीवीके की स्थापना की संचयी स्थिति, व उनके लिए स्वीकृत निधियों के राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-1** पर है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 मई, 2020 को लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया था, जिसमें 48 एमएफपी के एमएसपी में वृद्धि की गई और उसके पश्चात एमएफपी की सूची में 37 नई मदें शामिल की गई हैं जिसके चलते जनजातियों को शोषण से बचाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कीम के तहत एमएफपी की कुल संख्या 87 कर दी है। मदों का विवरण जिनके लिए एमएसपी घोषित की गई है **अनुलग्नक**-2 पर दिया गया है।

जनजातीय उत्पादों/उत्पाद के विपणन के लिए संस्थागत सहायता स्कीम के तहत, ट्राइफेड जनजातीय लोगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की खरीद करता है और 'ट्राइब्स इंडिया' और 'जीईएम', 'अमेजन' आदि जैसे अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों के खुदरा विक्रय (रिटेल आउटलेटों) नेटवर्क के माध्यम से उसका विपणन करता है। स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों में ट्राइफेड द्वारा की गई वर्ष-वार खरीद का विवरण नीचे दिया गया हैः-

वर्ष	खरीद **(लाख में)**
2017-18	1631.69
2018-19	3842.12
2019-20	5094.65

इसके अलावा, 'जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों' नामक की स्कीम के माध्यम से जनजातीय लोगों को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के लिए कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण गतिविधियों सहित विभिन्न जनजातीय विकास पहलों के लिए राज्य सरकारों को उनके प्रस्ताव के आधार पर परिवर्धक (एडिटिव्ज) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षुओं का चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों में कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा नीचे तालिकाबद्ध हैः-

(लाख रुपए में)

स्कीम/कार्यक्रम का नाम	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (03.02.2021 तक)**
जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	13921.10	12265.20	6888.65	7113.78
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	1719.83	5642.46	1571.04	798.17

अनुलग्नक 1

'जनजातीय लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 08.03.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2272 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक-1

आज की तिथि तक वीडीवीके की स्थापना की स्थिति **(2018-19 से संचयी रुप से)**

क्र.सं.	राज्य	वीडीवीके की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	263	3882.9	78818
2	असम	128	1940	38530
3	बिहार *	8	81.5	1630
4	छत्तीसगढ़	139	2085	41700
5	गोवा	10	150	3000
6	गुजरात	116	1721.2	34424
7	लद्दाख (यूटी)	10	150	3000
8	झारखंड	39	569.7	11601
9	कर्नाटक	19	285	5700
10	केरल	13	195	3900
11	मध्य प्रदेश	86	1290	25800
12	महाराष्ट्र	264	3960	79350
13	मणिपुर	100	1496.95	30194
14	मिजोरम	159	2306.55	46168
15	नागालैंड	92	1380	27600
16	ओडिशा	156	2269.25	45578
17	राजस्थान	27	402.2	8190
18	सिक्किम	80	1200	23800
19	तमिलनाडु	7	105	2100
20	तेलंगाना	17	255	5100
21	त्रिपुरा	27	370.85	7429
22	उत्तर प्रदेश	5	59.55	1238
23	उत्तराखंड	5	74.95	1505
कुल		**1770**	26230.6	**526355**

अनुलग्नक 2

'जनजातीय लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 08.03.2021 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2272 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक-2

मदों का विवरण जिनके लिए एमएसपी घोषित किया गया है

क्र.सं.	एमएफपी के नाम	*एमएसपी (रु./किग्रा)*	वर्ग एफ- वन ए-कृषि एस-मसाला	*प्रयोज्यता*
1	इमली (बीज सहित) (*टैमारिंडस इंडिका)*	36	*एफ*	अखिल भारत
2	जंगली शहद (वाइल्ड हनी)	225	*एफ*	अखिल भारत
3	गोंद कराया *(स्टेरकुल्या यूरेंस)*	114	*एफ*	अखिल भारत
4	करंज के बीज (पोंगामिया पिन्नाटा)	22	*एफ*	अखिल भारत
5	साल के बीज *(शोरिया रोबुस्टा)*	20	*एफ*	अखिल भारत
6	महुआ के बीज *(मधुकलोंगीफोलिया)*	29	*एफ*	अखिल भारत
7	साल के पत्ते *शोरिया रोबुस्टा*	35	*एफ*	अखिल भारत
8	बीज सहित चिरौंजी की फली *(बुचानानियालांज़न)*	126	*एफ*	अखिल भारत
9	हरीतिका *(टरमिनालिया चेबुला)*	*15*	*एफ*	अखिल भारत
10 क	रंगिनी लाख	*200*	*एफ*	अखिल भारत
10 ख	कुसुमी लाख	*275*	*एफ*	अखिल भारत
11	कुसुम के बीज (*शैलिककेरा ओलियोसा*)	*23*	*एफ*	अखिल भारत
12	नीम के बीज (*आजादीरस्टा इंडिका*)	*27*	*एफ*	अखिल भारत
13	पुआद के बीज (*कासिया टोरा*)	*16*	*एफ*	अखिल भारत
14	बहेड़ा (*टरमिनालिया बेल्लिरिका*)	*17*	*एफ*	अखिल भारत
15	पहाड़ी झाड़ू घांस(*थायसानोलेना मैक्सिमा*)	50	*एफ*	अखिल भारत
16	सूखी शिकाकायी की फली (*अकैसिया कॉनसिन्ना*)	50	*एफ*	अखिल भारत
17	बायल गूदा (सुखा) (*ऐगले मार्मेलोस*)	30	*एफ*	अखिल भारत
18	नागरमोथा (सायपरस रोटुंडस)	30	*एफ*	अखिल भारत

क्र.सं.	एमएफपी के नाम	*एमएसपी (रु./किग्रा)*	वर्ग एफ- वन ए-कृषि एस-मसाला	*प्रयोज्यता*
19	शतावरी की जड़ (सुखा) (*ऐसपेरेगस रेसमोसुस*)	107	*एफ*	अखिल भारत
20	गुडमर / मधुनाशिनी (*जिमनेमा सीलवेस्ट्रे*)	41	*एफ*	अखिल भारत
21	कालमेघ (*ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा*)	35	*एफ*	अखिल भारत
22	इमली (बीज रहित) (*टैमारिंडस इंडिका*)	63	*एफ*	अखिल भारत
23	गुग्गुल (एक्ज्यूटेड)	812	*एफ*	अखिल भारत
24	महुआ के फूल (सूखे) (*मधुकलोंगी फोलिया*)	30	*एफ*	अखिल भारत
25	तेजपत्ता (सूखा) (*सिन्नामोमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी*)	40	*एफ*	अखिल भारत
26	जामुन के सूखे बीज (*साइजियमकुमिनि*)	42	*एफ*	अखिल भारत
27	आमले का सूखा गूदा (बीज रहित) (*फायलांथस एमबिलिका*)	52	*एफ*	अखिल भारत
28	भिलावां (*सेमीकार्पस एनाकार्डियम*)	9	*एफ*	अखिल भारत
29	रीठा (सूखा) (*सैपिंडस एमार्जिनाटस*)	14	*एफ*	अखिल भारत
30	भाव बीज (अमलतास) (*कासिया फिसुला*)	13	*एफ*	अखिल भारत
31	अर्जुन छाल (*टर्मिनालिया अर्जुना*)	21	*एफ*	अखिल भारत
32	कोकम (सूखा) (*गारसिनिया इंडिका*)	29	*एफ*	अखिल भारत
33	गिलोय (*टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया*)	40	*एफ*	अखिल भारत
34	कौंच के बीज (*मकुना प्रुरेंस*)	21	*एफ*	अखिल भारत
35	चिरायता (*स्वेरशिया चीराटा*)	34	*एफ*	अखिल भारत
36	वेयबिडिंग / वावडिंग (सूखा बीज) (*एमबिलियारिब्स*)	94	*एफ*	अखिल भारत
37	धवाईफूल सूखा फूल (*वुडफोर्डीयाफ्लोरिबंडा*)	37	*एफ*	अखिल भारत
38	नक्स वोमिका (*स्ट्राइक्नोसनक्स वोमिका*)	42	*एफ*	अखिल भारत
39	बन तुलसी के पत्ते (सूखे) (*ओसीम्मटेनुइफ्लोरम*)	22	*एफ*	अखिल भारत
40	शीरनी	35	*एफ*	अखिल भारत

क्र.सं.	एमएफपी के नाम	*एमएसपी (रु./किग्रा)*	वर्ग एफ- वन ए-कृषि एस-मसाला	*प्रयोज्यता*
	(हेमीडेसमसइंडिकस)			
41	बकुल (सूखी छाल) *(मीमुसोपसइलेंगी)*	46	*एफ*	अखिल भारत
42	कुटज (सूखी छाल) *(होलरहेना पुबेसिन्स / एनीडायसेन्टेरिका.एच)*	31	*एफ*	अखिल भारत
43	नोनी / आल (सूखे फल) *(मोरिंडासिट्रीफोलिया)*	17	*एफ*	अखिल भारत
44	सोनापाठा / स्योनाक की फलियां *(ओरोक्सीलम इंडिकम)*	21	*एफ*	अखिल भारत
45	चनोथी के बीज *(अबरूस प्रिकाटोरियस)*	45	*एफ*	अखिल भारत
46	कालिहारी (सूखे कंद) *(ग्लोरियोसा सुपरबा)*	31	*एफ*	अखिल भारत
47	मकोय (सूखे फल) *(सोलानम निग्रम)*	34	*एफ*	अखिल भारत
48	अपंग पौधा *(ऐकिरांथिस असपेरा)*	28	*एफ*	अखिल भारत
49	सुगंधमंत्री जड़ें / कंद *(होमालोमिना एरोमैटिक)*	38	*एफ*	अखिल भारत
50	*वन तुलसी के बीज*	*16*	*एफ*	अखिल भारत
51	*वन जीरा*	*70*	*एफ*	अखिल भारत
52	इमली का बीज	*11*	*एफ*	अखिल भारत
53	बाँस की झाड़ियाँ	*60*	*एफ*	अखिल भारत
54	सूखा आँवला	*60*	*एफ*	अखिल भारत
55	काचरी बहेडा	*20*	*पी*	अखिल भारत
56	काचरी हर्रा	*23*	*पी*	अखिल भारत
57	लाख के बीज	*677*	*एफपी*	अखिल भारत
58	कच्चा चुकंदर	*30*	*एपी*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
59	सूखा चुकंदर	*200*	*एपी*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
60	मशरूम (सूखा)	*300*	*एपी*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
61	काले चावल	*100*	*ए*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
62	जोहर चावल	*50*	*ए*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
63	राजा मिर्च (किंग चिली)	*300*	*ए*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
64	सरसों	*40*	*ए*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
65	कच्चा काजू	*450*	*ए*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
66	काजू	*800*	*एपी*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
67	अदरक सूखा	*50*	*एपी*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
68	पेरिल्ला	*140*	*ए*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
69	रोसेला	*200*	*ए*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*
70	माजूफल	*150*	*ए*	*उत्तर-पूर्वी राज्य*

क्र.सं.	एमएफपी के नाम	*एमएसपी (रु./किग्रा)*	वर्ग एफ- वन ए-कृषि एस-मसाला	*प्रयोज्यता*
71	ज़ेंथोक्सिलम सूखा	*200*	*ए*	***उत्तर-पूर्वी राज्य***
72	सूखा कटहल	*45*	*ए*	***उत्तर-पूर्वी राज्य***
73	तसर कोकून (क्रिसलिस)		एफ/एच	झारखण्ड राज्य
	रीलिंग क्लास ग्रेड- I (विशिष्टता- जब औसत शैल भार 1.55 ग्राम या उससे अधिक)	रु. 3200/ हजार संख्या		
	अन-रिलिंग ग्रेड -I (विशिष्टता- जब औसत शैल भार 1.40 ग्राम या उससे अधिक)	रु.1500/ हजार संख्या		
74	काजू कर्नेल (एनाकार्डियम ऑक्सिडेलेल)	90	*एफ/पी*	अखिल भारत
75	सूखा एलीफेंट सेब (डिलेनिया इंडिका)	120	एफ/एच	उत्तर-पूर्वी राज्य
76	बाँस की गोली	70	एफ	उत्तर पूर्वी राज्य
77	मल्कंगनी बीज (सिलास्ट्रूपेनिकुलेट्स वाइल्ड)	100	एफ/एच	अखिल भारतीय
78	माहुल लीव्स (बाउहिनिया वाहली)	15	एफ/एच	ओडिशा, छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल
79	नागोद (विटेक्स निगंडो)	20	एफ/एच	अखिल भारतीय
80	गोखरू (ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस)	60	एफ/एच	अखिल भारतीय
81	पिप्पा / उचिथी (सूखे बेर)	120	एफ/एच	अखिल भारतीय
82	गमर / गामरी, (सूखी छाल) (गमेलिना आर्बोरिया)	20	एफ/एच	उत्तर पूर्वी राज्य
83	ओरोक्सिल्यूमिंडिकम, (सूखी छाल)	40	एफ/एच	उत्तर पूर्वी राज्य
84	जंगली मशरूम सूखा (एग्रीकस्प)	400	एफ/एच	उत्तर पूर्वी राज्य
85	भृंगराज (इकलिप्सा एल्बा)	18	एफ/एम	अखिल भारतीय
86	ट्री मॉस (ब्रायोफाइट्स)	350	एफ/पी	कर्नाटक राज्य

*****